INDUSTRIES DEPARTMENT

The 10th January, 1979

No. 2(1)-27-IIBII-78.—In pursuance of the provisions of section 48 of the Land Acquisition Act, 1894 and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby withdraws from the acquisition, the land specified below, with respect to which Haryana Government, Industries Department, Notification No.3743-IIBII-76/21855, dated the 29th June, 1976, was issued under section 4 of the said Act and declaration under section 6 thereof was made with Haryana Government, Industries Department, notification No. 7074-IIBII-76/40635, dated the 26th November, 1976:—

SPECIFICATIONS

District	Tehsil	Locality/ Village	Area with description		
			Khasra No.	*Land* Kanal	Marla
Karnal	Panipat	Bhapura	23/5/2	4	16
			24/1	2	19
			Total	7	15

H. V. GOSWAMI,
Commissioner and Secy.

MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY

The 18th January, 1979

No. HRB-EA-24(4)-79/299.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) (vi) of the clause 1 of Statute 15 of the Maharshi Dayanand University Act, 1975, the Chancellor of the Maharshi Dayanand University is pleased to nominate Dr. Vishnu Bhagwan, Principal, Government College, Gurgaon, as a member of the Academic Council of the said University for a period of one year with immediate effect in place of Dr. M. R. Bansal, Principal, Shri Mast Nath Ayurvedic College, Asthal Bohar (Rohtak).

TIRLOCHAN SINGH,
Dated Chandigarh the 13th January, 1979. Secretary to Governor, Haryana and Chancellor, Maharshi Dayanand University.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 10 जनवरी, 1979

क्रमांक **1960-ज(I)-78/1202.**—श्री ईशर सिंह, पुत्र श्री राम दास मेहता, 36-सी, माडल टाऊन, यमुनानगर, तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला की दिनांक 30 दिसम्बर, 1976 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री ईशर सिंह, को मुद्रित 200 रु० वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1948-ज(I)-1/5151, दिनांक 9-2-72 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमति गुरदेवी के नाम खरीफ़, 1977 से 200 रु० वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अर्तन्गत प्रदान की जाती है।

क्रमांक **1892-ज(I)-78/1207.**—श्री पूर्ण मल, पुत्र श्री धीरज भान, गांव खासपुर, तहसील नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़, की दिनांक 3 सितम्बर, 1978 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री पूर्ण मल की मुद्रित 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2452-र-III-71/17981, दिनांक 22 जून, 1971, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती चन्द्रली के नाम रबी, 1979 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।